

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर।

## कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 के आलोक में उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य एजेन्डा के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत सभी प्रखण्डों में एक-एक मॉडल विद्यालय की स्थापना की गयी है। मॉडल विद्यालयों का उद्देश्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं नवाचार आधारित शिक्षा प्रदान करना है।

मॉडल विद्यालय के केवल एक उच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यालय के रूप में ही कार्य नहीं करेंगे। बल्कि अपने क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए शैक्षणिक मार्गदर्शन, संसाधन-साझेदारी एवं क्षमता-विकास के केन्द्र के रूप में भी विकसित होंगे। इस दृष्टि से आवश्यक है कि इन विद्यालयों में ऐसे शिक्षक कार्यरत हो जो विषय में दक्ष हो, शैक्षणिक नवाचार के प्रति संवेदनशील तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध हो।


ई-शिक्षा कोष के माध्यम से रिक्ति के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों के अभ्यर्थी का साक्षात्कार उप विकास आयुक्त, भोजपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ में निम्न तिथि को विषयवार निर्धारित की जाती है-

दिनांक	समय	विषय	स्थल
27-04-2026	10:00 A.M TO 01:00 P.M	इतिहास, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजिक विज्ञान	उप विकास आयुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ, भोजपुर।
	02:00 P.M TO 05:00 P.M	हिन्दी, भूगोल	
28-04-2026	10:00 A.M TO 01:00 P.M	अंग्रेजी	
	02:00 P.M TO 05:00 P.M	अंग्रेजी	
29-04-2026	10:00 A.M TO 01:00 P.M	फारसी, संस्कृत, कम्प्यूटर विज्ञान	
	02:00 P.M TO 05:00 P.M	एकाउन्टेंसी, बिजनेस स्टडी, उद्यमिता, उर्दू	
30-04-2026	10:00 A.M TO 01:00 P.M	गणित	
	02:00 P.M TO 05:00 P.M	भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, संगीत	

प्रथम पाली के शिक्षक उक्त तिथि को पूर्वाह्न 08:00 बजे एवं द्वितीय पाली वाले शिक्षक मध्याह्न 12:00 बजे विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 में अंकित निदेश के आलोक में वांछित कागजात/अभिलेख के साथ उपस्थित होंगे।

1. प्रमाण आधारित मूल्यांकन के तहत अभ्यर्थी द्वारा किये गये प्रत्येक दावे हेतु संबंधित स्वप्रमाणित (Self Attested) दस्तावेज अनिवार्य होंगे तथा जहाँ नियम अपेक्षित करे वहाँ दस्तावेज सक्षम प्राधिकार से प्रमाणित होना भी आवश्यक होगा।

2. बोर्ड/आकलन दायित्व के अंक तभी दिये जायेंगे जब अभ्यर्थी परीक्षक (Examiner) मूल्यांकनकर्ता (Evaluator) केन्द्र प्रभार (Center Superintendent), ऑब्जर्वर (Observer) या





मास्टर ट्रेनर की भूमिका का प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रदर्शन अंक (10) के दावों की वैधता हेतु विद्यालय स्तरीय नवाचारों के प्रमाण (HM/PRINCIPAL से प्रमाणित) TLM उपयोग के फोटो/नमूने/रिपोर्ट, आई0टी0 आधारित कक्षा शिक्षण के विडियो/प्रमाण/लॉग तथा बोर्ड परिणाम में अभ्यर्थियों के योगदान संबंधी रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा और सभी दावे विद्यालय प्रमुख या जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

3. स्वघोषणा पत्र।

M/01  
23/4/26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
भोजपुर, आरा।

उप विकास आयुक्त  
भोजपुर, आरा।

ज्ञापांक.....976..... आरा, दिनांक.....23/04/2026

प्रतिलिपि:—सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि साक्षात्कार में शामिल होने हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों को निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:—जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि साक्षात्कार की सूचना को NIC के वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:—प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, डायट पिरौंटा आरा एवं प्राचार्य, पी0एम0श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बिहियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—जिला पदाधिकारी, भोजपुर आरा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

M/01  
23/4/26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
भोजपुर, आरा।

उप विकास आयुक्त  
भोजपुर, आरा।

## स्वघोषणा-पत्र

मैं श्री/श्रीमती .....संवर्ग-(BPSC TRE-I/II/III/  
विशिष्ट/नियमित) वर्ग.....विषय.....के शिक्षक/  
शिक्षिका हूँ। मैं दिनांक.....से दिनांक..... तक  
विद्यालय.....प्रखण्ड.....में  
कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय का यू-डायस कोड..... एवं मेरा  
ई-शिक्षाकोष आई0डी0 ..... है।

मेरे विरुद्ध उक्त अवधि में किसी प्रकार का निलंबन अथवा विभागीय  
कार्यवाही संचालित नहीं है।

मॉडल विद्यालय हेतु विभागीय SOP के कंडिका- 4 में अंकित अर्हता धारित  
करता/करती हूँ। यदि उपरोक्त सूचना विभागीय SOP के अनुसार नहीं पाया जाता है  
अथवा गलत पाया जात है तो सारी जबाबदेही मेरी होगी।

स्वघोषणाकर्ता का हस्ताक्षर



राज्य के प्रत्येक प्रखंड में चयनित मॉडल विद्यालय में आवश्यकतानुसार शिक्षक चयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

(Standard Operating Procedure)

## 1. प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय-3 कार्यक्रम के अंतर्गत "उन्नत शिक्षा - उज्ज्वल भविष्य" एजेंडा के तहत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में एक-एक मॉडल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इन मॉडल विद्यालयों का उद्देश्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं नवाचार-आधारित शिक्षा प्रदान करना है ताकि प्रत्येक प्रखंड में एक ऐसा सार्वजनिक विद्यालय विकसित किया जा सके, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता का मानक राज्य के साथ-साथ देश में स्थापित करे।

मॉडल विद्यालय केवल एक उच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यालय के रूप में ही कार्य नहीं करेंगे, बल्कि अपने क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए शैक्षणिक मार्ग-दर्शन, संसाधन-साझेदारी एवं क्षमता-विकास के केंद्र के रूप में भी विकसित होंगे। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन विद्यालयों में ऐसे शिक्षक कार्यरत हों जो विषय-विशेष में दक्ष हो, शैक्षणिक नवाचार के प्रति संवेदनशील तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध हों।

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) तैयार की गई है ताकि मॉडल विद्यालयों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बरती जाय साथ ही शिक्षक चयन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से संचालित की जा सके।

## 2. उद्देश्य एवं सिद्धांत

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक मॉडल विद्यालय अपने प्रखंड में एक अनुकरणीय उदाहरण बने, जिसे अन्य सरकारी विद्यालय अपनाकर अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार कर सकें।

शिक्षा विभाग के पत्रांक-11/वि.-228/2023-326, दिनांक-05.02.2025 के माध्यम से मानक मंडल द्वारा कक्षा 9-10 तथा कक्षा 11-12 के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप चयनित मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। (सुलभ प्रसंग हेतु अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न।)

*(Handwritten signatures and initials)*

## 2.1 मॉडल विद्यालयों की दृष्टि (Vision)

मॉडल विद्यालयों की परिकल्पना ऐसे विद्यालयों के रूप में की गई है जहाँ कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ग्रेड-स्तर अधिगम सुनिश्चित किया जा सके। ये विद्यालय सुरक्षित, समावेशी एवं शिक्षण-समृद्ध वातावरण प्रदान करेंगे, जहाँ आधुनिक पेडागॉजी, सूचना-प्रौद्योगिकी तथा सह-पाठ्य गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं भविष्य की आजीविका के लिए तैयार किया जा सके।

## 3. शिक्षक मानक (Teacher Norms)

शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अधिकतम 8 माध्यमिक शिक्षक (विशेष शिक्षक को छोड़कर) के मापदंड के अनुरूप निर्धारित मानक मंडल के अनुसार प्रत्येक मॉडल विद्यालय में माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा 9-10 के लिए 8 शिक्षकों के साथ-साथ संगीत, ललित कला तथा नृत्य एवं शारीरिक शिक्षा जैसे सहायक विषयों के शिक्षक भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अधिकतम 16 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के मापदंड अनुरूप निर्धारित मानक मंडल के अनुसार प्रत्येक मॉडल विद्यालय में उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा 11 और 12 के लिए 16 शिक्षकों की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

शिक्षकों की यह संख्या विद्यालय के शैक्षणिक एवं सह-पाठ्य दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है ताकि विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

## 4. पात्रता हेतु आवश्यक शर्तें (Eligibility)

- मॉडल विद्यालय में शिक्षक चयन हेतु यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हों।
- यह भी अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग e-shikshakosh/UDISE पोर्टल पर कक्षा 9 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय-प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।
- अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान जिला में न्यूनतम दो शैक्षणिक वर्षों की सतत सेवा पूर्ण की गई होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक होगा कि पिछले तीन वर्षों में अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई प्रमुख दंड न दिया गया हो तथा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो।
- आयु की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि 31 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है, जिस तिथि को अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ बिहार सरकार की प्रचलित सेवा नियमावली के अंतर्गत अन्य सभी सामान्य अर्हताएँ यथावत लागू होंगी।

#### 4.1 चयन मापदण्ड (कुल 100 अंक)

- मॉडल विद्यालय में शिक्षक चयन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। इन अंकों का विभाजन शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, प्रदर्शन तथा साक्षात्कार के लिए किया गया है।
- शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी की स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड./एम.एड., एम.फिल./पी.एच.डी. तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के पुरस्कारों को ध्यान में रखा जाएगा। शिक्षण अनुभव के अंतर्गत कक्षा 9-12 में विषय-विशेष शिक्षण का अनुभव, बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित दायित्वों का अनुभव तथा विद्यालय स्तर पर नेतृत्व या शैक्षणिक दायित्वों का मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रदर्शन के अंतर्गत शैक्षणिक नवाचार, शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) का प्रभावी उपयोग, आई.टी. आधारित शिक्षण तथा बोर्ड परीक्षा परिणामों में अभ्यर्थी के योगदान का आकलन किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थी के विषय-ज्ञान, अवधारणात्मक समझ, पद-उपयुक्तता एवं व्यावहारिक कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा।

##### 4.1.1 माध्यमिक शिक्षक (कक्षा 9 से 10) का चयन

क्र. सं.	घटक / मानदण्ड	उप घटक / विवरण	अधिकतम अंक
1	शैक्षणिक योग्यता (Merit)	उच्चतर शैक्षणिक योग्यता (Post Graduation) <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रथम श्रेणी - 7 अंक</li> <li>• द्वितीय श्रेणी - 5 अंक</li> <li>• तृतीय श्रेणी - 3 अंक</li> </ul> स्नातक (Graduation) <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रथम श्रेणी - 10 अंक</li> <li>• द्वितीय श्रेणी - 8 अंक</li> <li>• तृतीय श्रेणी - 5 अंक</li> </ul> इंटरमीडिएट (Intermediate) <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रथम श्रेणी - 8 अंक</li> <li>• द्वितीय श्रेणी - 5 अंक</li> <li>• तृतीय श्रेणी - 3 अंक</li> </ul> B.Ed./M.Ed. <ul style="list-style-type: none"> <li>• B.Ed. - 5 अंक</li> <li>• M.Ed. - 7 अंक</li> </ul> राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार <ul style="list-style-type: none"> <li>• राष्ट्रीय पुरस्कार - 8 अंक</li> <li>• राज्य पुरस्कार - 5 अंक</li> </ul>	40

क्र. सं.	घटक / मानदण्ड	उप घटक / विवरण	अधिकतम अंक
2	शिक्षण अनुभव (Teaching Experience)	विषय विशेष अनुभव (कक्षा 9-10) - (अधिकतम 10 अंक) <ul style="list-style-type: none"> <li>कक्षा 9-10 का शिक्षण अनुभव: प्रति वर्ष 1 अंक</li> </ul> बोर्ड/आकलन दायित्व (परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता/केंद्र प्रभारी/ऑब्जर्वर/मास्टर ट्रेनर) -6 अंक नेतृत्व/शैक्षणिक दायित्व- (HM/क्लब प्रभारी/समन्वय दायित्व)- 4 अंक	20
3	प्रदर्शन (Performance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>शैक्षणिक नवाचारों के प्रमाण - 5 अंक</li> <li>TLM का प्रभावी उपयोग - 5 अंक</li> <li>IT/प्रेजेंटेशन आधारित शिक्षण - 5 अंक</li> <li>e-content विकसित कर वर्ग संचालन में उपयोग - 5 अंक</li> </ul>	20
4	साक्षात्कार (Interview)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ज्ञान - 5 अंक</li> <li>समझ - 5 अंक</li> <li>उपयुक्तता - 5 अंक</li> <li>कौशल - 5 अंक</li> </ul>	20
<b>कुल</b>			100

#### 4.1.2 उच्च माध्यमिक शिक्षक (कक्षा 11 से 12) का चयन

क्र. सं.	घटक / मानदण्ड	उप घटक / विवरण	अधिकतम अंक
1	शैक्षणिक योग्यता (Merit)	(क) उच्च शिक्षा (M.Phil/PhD) <ul style="list-style-type: none"> <li>M.Phil - 3 अंक</li> <li>PhD - 5 अंक</li> </ul> (ख) स्नातकोत्तर (Post Graduation) <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रथम श्रेणी - 10 अंक</li> <li>द्वितीय श्रेणी - 8 अंक</li> <li>तृतीय श्रेणी - 5 अंक</li> </ul> (ग) स्नातक (Graduation) <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रथम श्रेणी - 10 अंक</li> <li>द्वितीय श्रेणी - 8 अंक</li> <li>तृतीय श्रेणी - 5 अंक</li> </ul>	40

L h v

क्र. सं.	घटक / मानदण्ड	उप घटक / विवरण	अधिकतम अंक
		(घ) B.Ed./M.Ed. • B.Ed. – 5 अंक • M.Ed. – 7 अंक (ङ) राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पुरस्कार • राष्ट्रीय पुरस्कार – 8 अंक • राज्य पुरस्कार – 5 अंक	
2	शिक्षण अनुभव (Teaching Experience)	(क) विषय विशेष अनुभव (कक्षा 9-12) – (अधिकतम 10 अंक) • कक्षा 9-10 का शिक्षण अनुभव: प्रति वर्ष 1 अंक (अधिकतम 05 अंक) • कक्षा 11-12 का शिक्षण अनुभव: प्रति वर्ष 2 अंक (ख) बोर्ड/आकलन दायित्व (किसी एक/अधिक दायित्व के दस्तावेजीय प्रमाण पर) • परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता/केंद्र प्रभारी/ऑब्जर्वर/मास्टर ट्रेनर – 6 अंक (ग) नेतृत्व/शैक्षणिक दायित्व • HM/क्लब प्रभारी/समन्वय – 4 अंक	20
3	प्रदर्शन (Performance)	• शैक्षणिक नवाचारों के प्रमाण – 5 अंक • TLM का प्रभावी उपयोग – 5 अंक • IT/प्रेजेंटेशन आधारित शिक्षण – 5 अंक • e-content विकसित कर वर्ग संचालन में उपयोग – 5 अंक	20
4	साक्षात्कार (Interview)	• ज्ञान – 5 अंक • समझ – 5 अंक • उपयुक्तता – 5 अंक • कौशल – 5 अंक	20
	कुल		100

1

2

3

- स्कोरिंग का सिद्धांत यह है कि किसी भी उप घटक में यदि अभ्यर्थी के पास एक से अधिक योग्यता/अर्हताएँ हों, तो अंक केवल उसी श्रेणी के अनुसार दिए जाएँ जो अधिकतम लागू होती है। उदाहरणतः स्नातकोत्तर (PG) में प्रथम श्रेणी होने पर केवल 10 अंक दिए जाएँगे और द्वितीय/तृतीय श्रेणी के अंक अतिरिक्त रूप से नहीं जोड़े जाएँगे।
- प्रमाण आधारित मूल्यांकन के तहत अभ्यर्थी द्वारा किए गए प्रत्येक दावे हेतु संबंधित स्व-प्रमाणित (self attested) दस्तावेज अनिवार्य होंगे, तथा जहाँ नियम अपेक्षित करें वहाँ वे दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी (DEO/Headmaster/Board/University) से प्रमाणित होना भी आवश्यक होगा।
- अनुभव अंक गणना में शिक्षण अनुभव पूर्ण सेवा वर्ष के आधार पर गिना जाएगा। आंशिक वर्ष (जैसे 7 माह/10 माह) के लिए प्रो-राटा के आधार पर अंक प्रदान किए जाएँगे।
- बोर्ड/आकलन दायित्व के अंक तभी दिए जाएँगे जब अभ्यर्थी परीक्षक (Examiner), मूल्यांकनकर्ता (Evaluator), केंद्र प्रभार (Centre Superintendent), ऑब्जर्वर (Observer) या मास्टर ट्रेनर की भूमिका का प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत करे। साथ ही अंक केवल उन्हीं आदेशों/प्रतिवेदनों पर आधारित होंगे जो संबंधित बोर्ड/आयोजक प्राधिकरण (BSEB/CBSE/Department/Training Institute) द्वारा जारी किए गए हों।
- प्रदर्शन अंक (10) के दावों की वैधता हेतु विद्यालय स्तरीय नवाचारों के प्रमाण (HM/Principal से प्रमाणित), TLM उपयोग के फोटो/नमूने/रिपोर्ट, IT आधारित कक्षा शिक्षण के वीडियो/प्रमाण/लॉग तथा बोर्ड परिणाम में अभ्यर्थी के योगदान संबंधी रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा और सभी दावे विद्यालय प्रमुख या जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) द्वारा सत्यापित होने चाहिए।

#### 5. चयन समिति का स्वरूप-

चयनित मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक जिले में शिक्षकों के चयन हेतु 4 सदस्यीय चयन समिति गठित की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा-

1. उप विकास आयुक्त (DDC)	-	अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO)	-	सदस्य सचिव
3. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य	-	सदस्य
4. जिला पदाधिकारी (DM) द्वारा नामित केंद्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय/ सैनिक स्कूल के प्राचार्य (जैसा लागू हो)	-	सदस्य

नोट:- उपरोक्त गठित 4 सदस्यीय चयन समिति में महिला प्रतिनिधि नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा वरीय उप रामाहर्ता/समकक्ष किसी महिला पदाधिकारी को नामित किया जा सकेगा।

*(Handwritten signature)*

## 6. चयन समिति का दायित्व-

चयन समिति जिला स्तर पर शिक्षक चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगी। समिति आवेदन आमंत्रण की सूचना के प्रकाशन से लेकर पात्रता/दस्तावेजों के सत्यापन, उपर्युक्त अंक-तालिका के अनुसार मूल्यांकन, साक्षात्कार के संचालन, समेकित अंकपत्र तैयार करने, टाई ब्रेक के नियम लागू करने, अंतिम मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन प्रकाशन, अभ्यावेदनों के समयबद्ध निस्तारण तथा तैनाती/प्रतिनियोजन आदेश निर्गमन तक सभी चरणों का पर्यवेक्षण और निर्णय सुनिश्चित करेगी। हित-संघर्ष की स्थिति में सदस्य स्वयं को संबंधित प्रकरण से अलग रखेंगे और सभी बैठकों की उपस्थिति, कार्यवृत्त, अंकन-शीट और आदेशों का अभिलेखीकरण न्यूनतम निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा। समूची प्रक्रिया के दौरान समिति आचार संहिता, गोपनीयता और डिजिटल ट्रेसबिलिटी (पोर्टल लॉग) का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार हेल्पडेस्क/प्रश्नोत्तर व्यवस्थाओं के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखेगी तथा किसी अपरिहार्य स्थिति में समय सीमा के औचित्यपूर्ण संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगी।

## 7. आवेदन प्रक्रिया (Application Process)-

- 7.1 ऑनलाइन आवेदन: यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी शिक्षा विभाग द्वारा इस चयन हेतु जारी किए गए e-Shikshakosh पोर्टल के विशिष्ट लिंक के माध्यम से आवेदन करेंगे।
- 7.2 पंजीकरण व प्रोफाइल प्रविष्टि: अभ्यर्थी पोर्टल पर पंजीकरण कर वैयक्तिक विवरण, सेवा विवरण, विषय/स्तर से संबंधित प्रविष्टियाँ भरेंगे।
- 7.3 दस्तावेज अपलोड (स्वप्रमाणित): शैक्षणिक योग्यता (UG/PG, B.Ed./M.Ed, M.Phil/Ph.D) सेवा पुस्तिका/तैनाती आदेश, पिछले 3 वर्षों की अनुशासन स्थिति, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार, अनुभव प्रमाण (कक्षा 9-12), HM द्वारा प्रमाणित प्रिंट आदि स्कैन एवं स्वप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपलोड किए जाएँ।
- 7.4 समय सीमा का पालन: आवेदन केवल अधिसूचित तिथि सीमा के भीतर स्वीकार होंगे। विलंबित/अपूर्ण आवेदन स्वतः अस्वीकृत माने जाएँगे।
- 7.5 अद्यतन स्थिति व सुधार: पोर्टल पर आवेदन की स्थिति (Submitted/Deficient/Rejected) प्रदर्शित होगी। यदि कोई कमी हो तो सुधार विंडो के भीतर आवश्यक दस्तावेज जानकारी अपलोड करना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।
- 7.6 प्राथमिक व अंतिम सत्यापन: ऑनलाइन आवेदन का विद्यालय प्रमुख द्वारा प्राथमिक तथा BEO/DEO द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा। सत्यापनोपरांत पात्र आवेदनों की सूची जिला चयन समिति को साक्षात्कार/अंकन हेतु प्रेषित की जाएगी।
- 7.7 हेल्पडेस्क/सहायता: तकनीकी/प्रक्रियात्मक सहायता हेतु जिला स्तरीय हेल्पडेस्क (ई-मेल/ संपर्क संख्या) उपलब्ध रहेगी, प्राप्त प्रश्नों का संक्षेप रिकॉर्ड में संधारित किया जाएगा।

7.8 अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रविष्टियाँ तथ्यों के अनुरूप हों। मिथ्या/अपूर्ण जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।

### 8. संभावित समय तालिका (Tentative Timeline)

क्रम सं.	विवरण	समय सीमा
1	विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन	15 मार्च 2026 तक
2	आवेदन आमंत्रण/प्राप्ति की अवधि	17 मार्च 2026-10 अप्रैल 2026
3	आवेदनों की जाँच एवं समीक्षा	15-20 अप्रैल 2026
4	साक्षात्कार का संचालन	21-25 अप्रैल 2026
5	चयनित शिक्षकों की सूची का प्रकाशन	30 अप्रैल 2026 तक

### 9. विविध प्रावधान

यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत या भ्रामक जानकारी दी गई है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जायेगी। इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में किसी प्रकार का संशोधन अथवा स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के क्षेत्राधिकार में होगा।

यह मानक संचालन प्रक्रिया निर्गमन की तिथि से तत्काल प्रभावी होगी तथा राज्य के सभी जिलों में स्थापित किए जा रहे मॉडल विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक-16-04-2026

ज्ञापांक-11/यो0.04-01/2026.....757.....

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा